9/3/24 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप. वकील प्रार्थी को राजीनामा पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से प्रस्तुत कर सुनकर अवलोकन करने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय इस के लिखाया जाकर पारित किया जाकर खारिज किया गया पत्रावली फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
...जिला दौसा (राज.)

ायालय : उपखण्ड अधिकारी, लालसोट जिला दौसा (राज0)

रेवेन्यु प्रकरण संख्या :– 39/2023

रज्जू दिनांक 12–05–2023

पीठासीन अधिकारी
श्री नरेन्द्र कुमार मीना (आर.ए.एस.)

1. श्योनारायण उर्फ शिवनारायण पुत्र काना उर्फ कन्हैया लाल
2. रमेश पुत्र काना उर्फ कन्हैया लाल
3. सूरज } पि0 नहन्या उर्फ नैनूराम
4. मदनलाल }

समस्त जाति बैरवा निवासी ग्राम दौलतपुरा तहसील निर्झरना जिला दौसा राज0 हाल निवासी हाउस नं0 159 पाकिट 2 पश्चिमपुरी नई दिल्ली 110063

(प्रार्थीगण)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निर्झरना तहसील निर्झरना जिला दौसा राज0

(अप्रार्थी)

प्रार्थना पत्र वास्ते करवाये जाने सीमाज्ञान व पत्थरगढी

अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट

निर्णय दिनांक : 09–03–2024

पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत मे पेश हुई। प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि आराजी खसरा नं0 238 रकबा 1.4200 हैक्टेयर भूमि वाकै ग्राम दौलतपुरा तहसील निर्झरना जिला दौसा में स्थित है। उक्त आराजी के सहखातेदार नहन्या उर्फ नैनू की मृत्यु हो जाने के कारण प्रार्थी संख्या 3 व 4 को एवं खातेदार मंगली की मृत्यु हो जाने के कारण उसके पुत्र पूर्व से ही जमाबन्दी के खातेदारी अंकित है जिन्हे पक्षकार संख्या 1 व 2 बनाया गया है। उक्त आराजी से किसी भी दिगर व्यक्ति या संस्था का किसी भी प्रकार से कोई लेना देना या सरोकार वास्ता नही है। प्रार्थीगण की उपरोक्त वर्णित खातेदारी भूमि का खातेदार काश्तकार है तथा प्रार्थीगण उक्त कृषि भूमि पर अपने नाम दर्ज के समय से काबिज होकर लगातार लाभान्वित होता चला आ रहा है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि का सीमाज्ञान व पत्थर गढी नही होने से पडौसी खातेदारान द्वारा प्रार्थीगण को आये दिन खेतो की सीमाओ को लेकर हैरान व परेशान करते है जिसका उन्हे किसी प्रकार का कोई हक अधिकार हांसिल नही है। प्रार्थीगण की उक्त

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)

आराजी भूमि पडौसी खातेदारान द्वारा जबरन अतिक्रमण कर कब्जा करने के चलते उसे खुर्द बुर्द करते रहते है जिससे मौके पर शान्ति भंग होने का खतरा बना हुआ है। इसलिए प्रार्थीगण की भूमि का सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण द्वारा अनेको बार प्रार्थना पत्र पत्थरगढी करवाने हेतू श्रीमान तहसीलदार जी निर्झरना के समक्ष प्रस्तुत किये थे जिस पर श्रीमान तहसीलदार महोदय निर्झरना द्वारा कोई कार्यवाही नही की गई कार्यवाही के लिए निवेदन किया तो अदालत हाजा से सीमाज्ञान पत्थर गढी का आदेश लाने के लिए कहां। इसलिए प्रार्थीगण की उक्त आराजी की सीमाज्ञान पत्थरगढी करवाया जाना न्यायार्थ व कानूनन आवश्यक है। प्रार्थीगण को जायज हक अधिकार हांसिल है कि न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट पेश कर अपनी कृषि भूमि उक्त वर्णित आराजी का सीमाकंन कर प्रशासन एवं पुलिस इमदाद से सीमाज्ञान व पत्थगढी करवाये। दिनांक को श्रीमान तहसीलदार जी निर्झरना द्वारा प्रार्थीगण को सीमाज्ञान पत्थरगढी करवाये जाने के लिये मना किये जाने पर न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिमी आया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड करवाया जाकर व तलबी अप्रार्थी जारी की गई। अप्रार्थी से पत्थरगढी बाबत रिपोर्ट ली गई प्राप्त रिपोर्ट तहसीलदार निर्झरना का भी अवलोकन किया तहसीलदार निर्झरना ने अपनी रिपोर्ट मे विवादित आराजी खसरा नं0 238 रकबा 1.4200 हैक्टेयर भूमि वाकै ग्राम दौलतपुरा तहसील निर्झरना जिला दौसा की भूमि वर्तमान मे उक्त कृषि भूमि पर विवाद की स्थिति है राजस्व टीम गठित कर व पुलिस इमदाद के साथ पत्थर गढी किया जाना संभव है। जिससे वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पत्थरगढी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पत्थरगढी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार निर्झरना को आदेश दिये जाते है कि दो कुशल गिरदावर/पटवारीयान की टीम गठित कर आराजी खसरा नं0 238 रकबा 1.4200 हैक्टेयर भूमि वाकै ग्राम दौलतपुरा तहसील निर्झरना जिला दौसा वाली भूमि का पहले सीमाज्ञान कर पत्थरगढी कायम करावे तथा आवश्यकता पडने पर एस.एच.ओ. झांपदा से पुलिस इमदाद प्राप्त करें साथ ही नियमानुसार राजकीय शुल्क प्रार्थीगण से प्राप्त करें। इस आशय की तहसीलदार निर्झरना को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 9/3/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दप्तर हो।

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी लालसोट